

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

03 मार्च, 2014 ई0

संख्या 64/XXVII(9)/2014/स्टाम्प-05/2014—श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें उपक्रम संचालित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, ऐसी भूमि के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "The Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 64/XXVII(9)/2014/Stamp-05/2014**, dated March 03, 2014 for general information.

NOTIFICATION

March 03, 2014

No. 64/XXVII(9)/2014/Stamp-05/2014--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no-2 of 1899) The Governor is pleased to remit the stamp fees on registration of such lands who is provided by the State Government for running of undertaking of the Institutions of Central Government and State Government in the State.

By Order,

BHASKARANAND,
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 10-05-2014, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 वित्त/410-28-05-2014-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।